2017 प्रस्ताव के का... पालना में दिनांक 11.5.17 ... आदेशानुसार

रीडर

115/17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 27.6.17 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

न्याय आपके द्वार अभियान - 2017

27.6.17 पत्रावली पेश कर्ई खातेदार [illegible] प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] के खसरा नम्बर 645 रकबा 0.100 प्रार्थीगण के पति/पिता ने तत्कालीन खातेदार स्व. हरिराम पुत्र [illegible] से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.7.1998 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था किन्तु हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं 390/1665 रकबा 0.10 प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलकारी कर रहे हैं व नामान्तरण करवाना आवश्यक है अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना स्वीकार की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड मुताबिक प्रार्थीगण के पति/पिता ने हरिराम पुत्र [illegible] से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी किन्तु पत्रावली में [illegible] के साथ

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(5)

अरराज पुरा मौजूद दर्ज है। विक्रय पत्र
राजस्व अभिलेख के साथ का अन्तर होने के
आधार राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी
पर विक्रयपत्र की पालना नहीं की जा रही है
हाल ख० नं० 390/2665 रकबा 0.08
राजस्व अभिलेख में विक्रेता के वारिसान प्रार्थीगण
के नाम दर्ज हो गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी
का केवल कब्जा है तो मौके पर वाद चलता
की स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता।
अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हो चुके हैं
प्रथम दृष्टया मामला पक्ष प्रार्थीगण सिद्ध होता
है। तदनुसार सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय
क्षति की संभावना भी पक्ष प्रार्थीगण सिद्ध
होती है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि
से सिद्ध होंगे।

अतः ग्राम केरवड़ा के हाल ख० नं० 390/2665
रकबा 0.08 की आराजी पर प्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण
को मूल वाद के निस्तारण तक ~~उक्त [illegible]~~
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है
आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में तब्दीली
न करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।
पत्रावली फैसला शुमार हो कर नम्बर से कम
हो व दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :......